FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2024

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0028 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/09/2024 15:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** Thursday **Date from (दिनांक से):** 26/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/09/2024

   Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 14:40 hrs **Time To (समय तक):** 14:40 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/09/2024 **Time (समय):** 14:45 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 023 **Date and Time (दिनांक और समय):** 26/09/2024 14:57 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 65 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): जिला रेवाडी,

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** उप0 नि0 सतीश कुमार न0 1706 FBD

   (b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री लाल चन्द

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 08/05/1969 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB GGM, ACB, Gurugram, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Present Address**	**VILL KHARKHARA REWARI, DHARUHERA, REWARI, HARYANA, INDIA**
3	**Permanent Address**	**VILL KHARKHARA REWARI, DHARUHERA, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416118257

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विक्रम सिह		Father's Name: श्री गजसिह	1. गांव रसगण जिला रेवाडी, DHARUHERA,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम, विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 04.05.2016 रेवाडी, महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 5492/आई-2/रा0चौ0ब्यूरो दिनांक 04.05.2016 की अनुपालना में दर्ज की गई ।

उपरोक्त जांच की जांच पडताल निरीक्षक सतेन्द्र कुमार राज्य चौक्सी ब्यूरो उपकेन्द्र रेवाडी द्वारा पूर्ण

करके अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके नियमानुसार महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला भेजी गई थी। उक्त जांच की अन्तिम रिपोर्ट मय फाईले आगामी कार्यवाही हेतु महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरिणाणा पंचकूला कार्यालय से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौक्सी को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौक्सी विभाग के क्रंमाक 33/08/2016-3 Vig-1 माह जनवरी 2023 व महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 2705 /I-2/ACB(H) दिनांक15.02.2023 के अनुसार बिन्दु लगकर पुनः पडताल हेतू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम मे प्राप्त हुई ।

पडताल के दौरान प्रतिवादी विक्रम सिंह सेवादार पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी गांव रसगण जिला रेवाडी हाल मकान न0 10 सैक्टर -9 रेवाडी हाल कार्यरत सहायक आबकारी एवं कराधान विभाग रेवाडी को शामिल जांच करके कथन अंकित किया गया। जिसने अपने कथन मे बतलाया है कि वह आबकारी एवं कराधान विभाग मे दिनांक 15.09.2004 को बतौर सेवादार नियुक्त हुआ था वर्ष 20.11.2017 मे कर्लक के पद पर पदोन्नत हुआ था और दिनांक 17.05.2023 को बतौर सहायक पद पद पदोन्नति हुई है। वर्ष 2006 मे हुडा द्वारा एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के फार्म निकाले गये थे मैने भी उस फार्म मे अपना नाम दर्ज करवाया था फार्म के साथ सभी सदस्यो ने 25000 रूपये प्रत्येक सदस्यो ने जमा किये थे। इस ग्रुप हाउसिंग सोसायटी मे कुल 25 सदस्य थे। उसके बाद कन्सट्रकशन का कार्य होने पर मैने फलैट/प्लाट की पूरी कीमत अपने हिस्से के 33,50,000 रूपये जमा करवाये थे जिसके लिए मैने यूनियन बैंक से 7,15,000 रूपये का लोन लिया था और अपने GPF से 2,00,000 रूपये निकलवाये थे और 9,50,000 रूपये मैने अपने जीजा नरेश से 7,50,000 रूपये के चैक व 2,00,000 रूपये नकद उधार लिए थे। इसके अतिरिक्त 12,00,000 रूपये मैने अपने ससुर से मकान बनाने हेतू लिए थे। जिसकी मैने गिफ्ट डीड बनवाई हुई है। मेरे ससुर ने अपने पिता बाल किशन के खाते से निकलवाकर मुझे कैश मे दिये थे। मेरा ससुर अपने पिता का इकलौता पुत्र है। इस राशि से मैने समय-समय पर किस्त जमा करवाई है ।

जांच अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट, जांच क्रमांक 01/2016 रेवाडी का व प्राप्त किये कथनों व प्रलेखों का गहनता से अवलोकन करने से पाया गया कि प्रतिवादी विक्रम सिंह सेवादार के पास रेवाडी शहर मे एक फलैट हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा ड्रा मे निकला हुआ है। जिसका फ्लैट न0 101, प्लॉट न0 10 सैक्टर-09, रेवाडी है। विक्रम सिह के पास गांव रसगण जिला रेवाडी मे 2.5 (ढाई) कनाल दादालाई हिस्से की जमीन है। प्रतिवादी द्वारा प्लाट न0 10 सैक्टर 09 रेवाडी के खरीदने व निर्माण करने पर कुल 33,50,000 रूपये हुडा द्वारा मंजूर शुदा आबकारी एवं कराधान की एम्पलाईज सोसायटी को अदा किये जाने पाये गये हरियाणा आबकारी एवं कराधान सोसायटी को अदा किये गये 33,50,000 रूपये की आय प्रतिवादी द्वारा 2,00,000 रूपये GPF से निकलवाई गई। 7,15,000 रूपये यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से लोन, अपने जीजा नरेश से चैक द्वारा 7,00,000 रूपये व 2,50,000 रूप्ये कैश कुल 9,50,000 रूपये, अपने ससुर देशराज से कैश 12,00,000 रूपये गिफट स्वरूप व अपने वेतन से अदा किये गये। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विक्रम के नाम कोई भी प्लाट होना नही पाया गया। प्रतिवादी के पास मारूति कार न0 HR 36 5555 व HR 36 Q 5502 होने बारे रिपोर्ट SDM रेवाडी से प्राप्त की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार HR 36 5555 LMV Scooter संजय यादव पुत्र बलबीर सिंह गांव बावल जिला रेवाडी के नाम व HR 36 Q 5502 Swift Dizer मैसर्ज गोयल श्री सैल एजैन्ट गांव धारूहेडा सोहना रोड रेवाडी के नाम रजिस्ट्र्ड होनी पाई गई है। जिससे प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी की वेतन से नेट आय वर्ष 2004 से अप्रैल 2016 तक कुल 15,80,516 रूपये की 40 प्रतिशत कुल बचत 6,32,206 रूपये होनी पाई गई है। प्रतिवादी की मां सन्तोष देवी की दिनाक 01.09.2008 से वर्ष .2016 तक बुढापा पैंशन से आय 71,200 रूपये विक्रम सिंह द्वारा शादी मे मिली मोटर साईकिल बेचने से आय 20,000 रूपये, प्रतिवादी द्वारा अपनी दादालाई जमीन वर्ष 2014 से 2016 तक अपने भाई को मालपर देने से आय 30,000 रूपये होनी आय दर्शाई है। जबकि प्रतिवादी द्वारा 12,00,000 रूपये अपने ससुर से वर्ष 2011 मे नकद गिफट मे लेने दर्शाये है। प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र के अतिरिक्त इस आय बारे कोई ओर साक्ष्य उपलब्ध नही करवाए। अतः प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई 12,00,000 रूप्ये की राशि को उसकी आय मे शामिल नही किया जा सकता है। इस प्राप्त की हुइ राशि 12,00,000 रूप्ये के बारे मे प्रतिवादी द्वारा नही तो कोई ITR भरी गई और ना ही उसके किसी बैंक खाते मे उक्त राशि चैक द्वारा प्राप्त होनी पाई गई। अतः इस राशि को प्रतिवादी की आय मे शामिल नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा 2,50,000 रूप्ये अपने जीजा नरेश से उधार कैश मे प्राप्त करने दर्शाये है उनके बारे मे भी ना ही कोई ITRभरी गई और ना ही उसके किसी बैंक खाते मे उक्त राशि चैक द्वारा प्राप्त होनी पाई गई। अतः इस राशि को प्रतिवादी की आय मे शामिल नही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रविादी की कुल आय 23,68,401 रू0 होनी पाई गई।

प्रतिवादी द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण निम्न है। वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक प्लाट नं0 10 में फ्लैट, सैक्टर-9, रेवाडी के खरीदने पर खर्च की गई राशि 33,50,000 रू0, प्रतिवादी द्वारा युनियन बैंक ऑफ इन्डिया शाखा रेवाडी से लिये गये लोन की किस्त जमा करवाने पर वर्ष 2013 से अप्रेल 2016 तक खर्च 3,04,646 रू0, एल0आई0सी0 का पोलिसी नम्बर 331345625 की वर्ष 2005 से 2016 तक कुल 23 किस्तो में जमा कराने पर खर्च राशि 58,696 रू0, एल0आई0सी0 का पोलिसी नम्बर 332883034 की वर्ष 2009 से 2016 तक कुल 14 किस्तो में जमा करने पर खर्च राशि 34,370 रू0, एल0आई0सी0 का पोलिसी नम्बर 332884285 की वर्ष 2009 से 2016 तक कुल 14 किस्तो में जमा करने पर खर्च राशि 34,314 रू0, दिनांक 30.04.2016 को प्रतिवादी के युनियन बैंक ऑफ इन्डिया शाखा रेवाडी में जमा राशि 333 रू0, पी0एन0बी0 खाता संख्या में दिनांक 30.04.2016 को 1255 रू0, प्रतिवादी का माता श्रीमति संतोश के एस0बी0आई0 खाता में दिनांक 30.4.2016 को 14,605 रू0, प्रतिवादी के एस0बी0आई0 के खाता में 19612 रू0, प्रतिवादी के एस0बी0आई0 के दुसरे खाता में दिनांक 30.4.2016 को 45,000 रू0, वर्ष 2015 में स्कूटी HR 36 X 1925 खरीदने पर खर्च 39,000 रू0 प्रतिवादी द्वारा कुल 39,01,831 रू0 खर्च किये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी की कुल आय 23,68,401 व कुल खर्च 39,01,831 रू0 बनता है। अतः प्रतिवादी द्वारा आय से अधिक 13,58,435 रू0 खर्च किये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तालिका अनुसार सभी संसाधनो से 23,68,401 रू0 कुल आय होनी पाई गई। प्रतिवादी द्वारा अपनी नौकरी के कार्यकाल के दौरान सभी संसाधनो पर 39,01,831 रू0 खर्च करनी पाई गई है। अतः प्रतिवादी द्वारा कुल 15,33,430 रू0 आय से अधिक खर्च किये गये है। प्रतिवादी द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का अपराध किया गया है। इसलिये विक्रम सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी गांव रसगण जिला रेवाडी, तत्कालीन सेवादार हाल सहायक कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ब्रिकी कर) रेवाडी के विरूध जेर धारा 13(1) पी0सी0 एक्ट 1988 के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक 16839/I-2/ACB(H) दिनांक 25.09.2024 के अनुसार अभियोग दर्ज करने हेतू तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त हुए है। पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन उप निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। मन उप निरीक्षक द्वारा उपरोक्त तहरीर तैयार करके Vetted एवं अनुमोदन प्राप्त होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम हुँ । विक्रम सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी गांव रसगण जिला रेवाडी, तत्कालीन सेवादार हाल सहायक कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ब्रिकी कर) रेवाडी के विरूध जेर धारा 13(1) पी0सी0 एक्ट 1988 के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने हेतू तहरीर तैयार करके उप निरीक्षक सतबीर सिंह न0 696/गुरूग्राम के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूगाम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर मय 04 फाईले आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक वेद प्रकाश के पास भिजवाई जावे। sd सतीश कुमार उप निरीक्षक सतीश कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम दिनांक 26.09.2024 अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले SI सतबीर सिह न0 696/गुरुग्राम के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि0 वेदप्रकाश भ्र0नि0ब्यूरो उपकेन्द्र रेवाडी के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Rank (पद):** I (Inspector)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ved parkash

No. (सं.): 1641 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)